

## नक्सलवाद क्षेत्र मुआवजा

संचालक मंडल की 29वीं बैठक, दिनांक 11.09.2013 के प्रस्ताव एवं ठहराव क्रं० 29.17 के तहत निर्णय लिया गया है कि छ०ग० स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के अधिकारी/ कर्मचारियों को छ०ग० शासन की भांति नक्सली हिंसा में मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार के लिए अनुग्रह(अनुदान) राशि रूपये 12.00 लाख (रूपये बारह लाख) दिये जावे।

संलग्न:- छ०ग० शासन वित्त एवं योजना विभाग द्वारा प्रदत्त वित्त निर्देश 45/2013

  
प्रबंधक कार्मिक

571

वित्त निर्देश 45/2013

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त एवं योजना विभाग  
मंत्रालय

महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 280/एल-2013-56-00005/वित्त/नियम/चार  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई, 2013

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त संभागीय आयुक्त  
समस्त जिलाध्यक्ष  
छत्तीसगढ़

विषय:-शासकीय सेवक की नक्सली हिंसा में मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार के लिए अनुग्रह राशि (अनुदान) स्वीकृत करने बाबत ।

संदर्भ:-वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 304/सी-30974/वित्त/नियम/चार/2010, दिनांक 30 सितम्बर, 2010.

-----

वित्त विभाग के संदर्भित ज्ञापन द्वारा शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार के लिए अनुग्रह राशि (अनुदान) की पात्रता एवं दर के संबंध में निर्देश जारी किया गया है ।

2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि किसी शासकीय सेवक की मृत्यु नक्सली हिंसा में होने की स्थिति में उनके आश्रित परिवार को रुपये 12 लाख (एकमुश्त) अनुग्रह राशि (अनुदान) स्वीकृत किया जाए ।

3/ अनुग्रह राशि (अनुदान) की पात्रता, आश्रित का क्रम एवं भुगतान की प्रक्रिया संदर्भित ज्ञापन अनुसार ही रहेगी ।

4/ यह आदेश दिनांक 1 अगस्त, 2013 से प्रभावशील होगा ।

(एस0के0 चकवर्ती)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

वित्त एवं योजना विभाग